फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर ग्रामीण)

अमराराम पुत्र कानाराम **बनाम** झुमरराम पुत्र कानाराम वगैराह

किस्म मुकदमा – 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 (मुकदमा नम्बर ३२/2024) (सन् 2024)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
22.02.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लुम्बाराम चौधरी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगणों की खातेदारी एवं पुश्तैनी भूमि है। अप्रार्थीगण भूमि का बेचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 20.03.2024 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम गोदेलाई पटवार हल्का गोदेलाई तहसील चामू जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 935, 936, 1072/937, 1073/937, 1074/937, 1015/660, 1016/660, 1017/660, 1054/933, 1055/933 एवं ग्राम बाबुनगर पटवार हल्का गोदेलाई तहसील चामू के खसरा नम्बर 865, 865/1, 865/2, 880, 1012 ग्राम रणजीत सागर पटवार हल्का चामू के खसरा नम्बर 1052 की भूमि पर अप्रार्थीगण विशिष्ठ भू–भाग दर्शाकर बेचान, हस्तान्तरण, निर्माण कार्य एवं कब्जा नही करें। उक्त खसरे में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरूद्ध नही करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी [illegible] अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से [illegible]त कर [illegible] पत्रावली दिनांक 20.03.2024 को [illegible] उपखण्ड अधिकारी बालेसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.23 18:53:02 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
15/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि पत्रावली मे प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी विचाराधीन है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की तरफ से मुल प्रार्थना पत्र का जवाब न्यायालय मे पेश किया जा चुका है अतः मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जावें। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मुल प्रार्थना पत्र की बहस हेतु किसी प्रकार का विरोध नही किया गया। पत्रावली मे मुल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेघाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओ पर पत्रावली का अवलोकन किया :– 1. प्रथम दृष्टतया मामला :– राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती है। जितना अधिकार प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक भूमि पर है उतना ही अप्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक की भूमि पर है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो के पक्ष में सिद्व होता है। 2. सुविध का संतुलन :–प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकार्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वही सुविधा अप्रार्थीगण भी प्राप्त करने के हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है। 3. अपूरनीय क्षति :– प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्व करना है परंन्तु राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से यह सिद्व होता है उक्त खसरा सामलाती है जो विवादित है। भूमि का बिना बंटवाडा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थिगण दोनो को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओ के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा ग्राम गोदेलाई पटवार हल्का गोदेलाई तहसील चामू के खसरा नम्बर 935, 936, 1072/937, 1073/937, 1074/937, 1015/660, 1016/660, 1017/660, 1054/933, 1055/933 एवं ग्राम बाबुनगर प[illegible] के खसरा नम्बर 865, 865/1, 865/2, 880, 1[illegible] ग्रा[illegible]राजीत सागर पटवार हल्का चामू के ख[illegible] राजस्व रेकर्ड पर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद [illegible] तक लागू की जाती है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थिगणों की आवश्यकताओं को दिखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी को [illegible] स्वीकार किया जाता है एवं खसरा नम्बर 880 मे नलकूप खुदवाने तथा विद्युत कनेक्शन के लिए अस्थाई निषेघाज्ञा मे छुट प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.23 18:53:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर